न्यायालय: अपर सैशन न्यायाधीश क्रम–03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – **नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक अपील संख्या संख्या 113/2025
(सीआईएस संख्या 113/2025)

श्रीमती गोरी पत्नी बंटी उम्र 33 वर्ष, निवासी ईसाई मौहल्ला, सांसी बस्ती, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर। **–––अपीलार्थीया/अभियुक्ता**

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक। **––प्रत्यर्थी**

दाण्डिक अपील विरूद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 17.02.2025, फौजदारी प्रकरण संख्या 60/2023, उनवानी सरकार बनाम गोरी, अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) अजमेर, पीठासीन अधिकारी श्रीमती बबीता वर्मा, आर.जे.एस.

उपस्थितः–

1– श्री जे.बी. माथुर, अधिवक्ता, वास्ते अपीलार्थीया।
2– विद्वान् अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज. राज्य।

नि र्ण य

दिनांकः–16.03.2026

1– अपीलार्थीया/अभियुक्ता गोरी के द्वारा यह दाण्डिक अपील सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) अजमेर, द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 60/2023 उनवानी सरकार बनाम गोरी, में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.02.2025 के विरुद्ध श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां से विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27–4–23 को बंकट सिंह, प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल अजमेर शहर द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि वह मय जाब्ता दौराने रेड व गश्त जब आशागंज अजमेर से सांसी बस्ती अजमेर की ओर रहे थे कि आमरास्ता BPL क्वार्टर, सांसीबस्ती पी.एस. रामगंज जिला अजमेर पर सामने से एक महिला अपने हाथ में एक वजनी प्लास्टिक का कट्टा लेकर आती नजर आई, जो उन्हें बावर्दी जाप्ता व संविदा वाहन के आता देखकर घबराकर अपने हाथ

में पकडे प्लास्टिक कट्टे को वहीं जमीन पर पटक कार तेजी से भागने लगी, जिसका पीछा कर रुकने की आवाजे लगाई किन्तु वह तेजी से भागते हुए BPL क्वार्टर, सांसीबस्ती की तंग गलियो में रूहपोश हो गयी, जिसको काफी तलाश किया किन्तु वह नहीं मिली। कार्यवाही हेतु मौके पर मौजूद यह वाक्या देख रहे व्यक्तियों को अपना आशय बताकर स्वतन्त्र मौतबीर बनने का आग्रह किया, परन्तु उन्होने स्थानीयता व कोर्ट कचहरी के चक्कर से मौतबीर बनने से इंकार किया। इस पर जाप्ते में से ओकार सिंह जमादार व छोटूराम सिपाही को गवाह मामुर किया गया। उक्त महिला की पहचान उसके व गवाहान ने श्रीमती गोरी पत्नि बन्टी के रूप में की। जिसके विरूद्ध पूर्व भी दौराने रेडगश्त दबिश दी जा चुकी है। जो अवैध शराब के धन्धे में लिप्त है। नियमानुसार रूबरू मौतबिरान अपनी व जाप्ता की तलाशी दे लेकर श्रीमती गोरी सांसी द्वारा जमीन पर पटके गये प्लास्टिक कट्टे को खोलकर चैक किया तो RML व्हिस्की शराब के पच्चे मिले जिन्हे कट्टे से बाहर निकाल कर चैक किया व गिना तथा गवाहान को भी चैक कराया व गिनाया, तो प्लास्टिक कट्टे में रखे कुल 12 पव्वे ब्राण्ड रॉयल क्लासिक RML व्हिस्की शराब एवं 14 पव्वे ब्राण्ड इम्पेक्ट ब्ल्यू RML व्हिस्की शराब समस्त प्रत्येक 180ml 25up क्षमता के सीलबन्द अवस्था में बरामद हुए। अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी घटित होने पर रासायनिक जांच हेतु बरामद समस्त 12 पव्वो रॉयल क्लासिक RML व्हिस्की शराब बतौर नमूना सैम्पल लेकर पव्वो पर मार्का क्रमशः 1 से 12 तक एवं 14 पव्वे ब्राण्ड इम्पेक्ट ब्ल्यू RML व्हिस्की शराब को बतौर नमूना लेकर सीलमोहर कर पव्वो पर मार्का 13 से 26 तक अंकित कर समस्त को हाजरीन की दस्तखती चिटो से सीलचिट चपड़ी वापस उसी प्लास्टिक कट्टे में रख कर जरीये फर्द जब्त कर कब्जेराज लिया गया.....आदि।

3– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल , अजमेर में अभियोग संख्या 11/23–24 अंतर्गत धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्ता गोरी के विरूद्ध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अभियुक्ता को उक्त अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्ता ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5– विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 पप्पू सिंह, पी.ड. 2 छोटूराम, पी.ड. 3 बंकट सिंह व पी.ड. 4 ओंकार सिंह के बयान लेखबद्ध कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 11 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6– अभियुक्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किए जाने पर अभियुक्ता ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना कथन किया जाकर साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया गया।

Authenticated Document

7– तत्पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनकर दिनांक 17.02.2025 को आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलार्थीया/अभियुक्ता को आरोपित अपराध धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाकर धारा 4 परीवीक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की अवधि हेतु 10 हजार रूपये राशि का बंधपत्र व धारा 5 परीवीक्षा अधिनियम के तहत 800 रूपये अभियोजन व्यय के अधिरोपित किये गय, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया/अभियुक्ता की ओर से हस्तगत अपील पेश की गई है।

8– बहस अपील उभय पक्षों की सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीया/अभियुक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि मुलजिमा को विचारण न्यायालय द्वारा गलत तौर पर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण में मुलजिमा को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, वरन् भाग जाना बताया गया है तथा घटना के लगभग 20 दिन बाद मुलजिमा को थाने पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमा कितनी दूरी से भागी, इस सम्बंध में गवाहन की साक्ष्य में विरोधाभास है तथा जिस जगह से शराब जब्त की गयी, वह मुलजिमा के अनन्य कब्जे में हो यह दशित नही है तथा यदि मुलजिमा को मौके पर ही पहचान लिया गया था तो उसे तुरन्त गिरफ्तार नहीं करना, अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है। केवल मात्र अनुमान के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मुलजिमा को दोषसिद्ध किया गया है। साथ ही निवेदन किया गया कि प्रकरण में मुलजिमा पर केवलमात्र 4.680 लीटर अंग्रेजी शराब पटकर भाग जाने का आरोप है, जबकि राज्य सरकार के आबकारी विभाग की अधिसूचना अनुसार भारत में निर्मित 9 लीटर विदेशी शराब को कोई व्यक्ति अपने आधिपत्य में रख सकता है। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना मुलजिमा को दोषसिद्ध किया गया है। जो दोषसिद्धि किसी प्रकार संधारणीय नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर मुलजिमा को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Panna Lal vs State of Rajasthan, Cr.L.R (Raj.) 1984 Page 613 पेश किया।

9– वहीं दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध कर निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। साथ ही निवेदन किया गया कि वर्तमान में भारत में निर्मित विदेशी शराब 9 लीटर बिना वैध लाईसेंस के रखना अपराध नहीं है।

10– मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में अपील पत्रावली, विचारण न्यायालय की पत्रावली, आक्षेपित निर्णय तथा संबंधित विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ न्यायालय के समक्ष निम्नांकित विचारणीय बिंदु उत्पन्न होता हैंः–

'' क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश

दिनांक 17.02.2025 विधि विरूद्ध, मनमाना होने से एवं अपील मीमो में वर्णित आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य है ? ''

11– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 4 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी है। गवाह पी.ड. 1 पप्पू सिंह जब्तशुदा माल को मालखाना से प्राप्त करके प्रयोगशाला में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद थाने में देने का कथन करता है।

12– वहीं गवाह पी.ड. 2, 3 व 4 मौका कार्यवाही के गवाह के तौर पर पेश हुये है। गवाह पी.ड. 2 छोटूराम मुख्य परीक्षण में घटना की दिनांक 27.4.23 को गश्त के दौरान एक महिला को प्लास्टिक का कट्टा लेकर आते हुये नजर आना तथा बावर्दी जाब्ते को देखकर सांसी बस्ती की तंग गलियों में रूहपोश होना बताता है, जो तलाश करने पर नहीं मिलना एवं भागते हुये महिला की पहचान स्वयं द्वारा उसकी बीट होने से गोरी पत्नी बंटी होना कथन करता है। जिसके विरूद्ध पूर्व में भी दबीश की कार्यवाही होने का कथन करता है तथा महिला द्वारा पटके गये प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखने पर कुल 26 पव्वे रॉयल क्लासिक व्हीस्की एवं इम्पैक्ट ब्ल्यू व्हीस्की के होना बताता है। जिस पर 26 पव्वे को सील मोहर करके फर्द जब्ती, नक्शामौका इत्यादि मुर्तिब करने व दस्तावेज प्रदर्श पी 4 से पी 6 इस सम्बंध में बनाना व उन पर स्वयं के हस्ताक्षर करना तथा दिनांक 18.05.23 को मुलजिमा को उसके व महिला होमगार्ड सीमा की उपस्थिति में जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 के गिरफ्तार करना बताता है।

वहीं दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता मुलजिमा गवाह अंदाजन 50 मीटर से महिला को देखना बताता है जो उन्हें देखकर भागना व दूरी अधिक होने से गायब होने का कथन करता है। साथ ही जिस जगह शराब मिली वह अभियुक्ता के कब्जे में नहीं होना एवं शराब को पटकते हुये स्वयं तथा जाब्ते द्वारा देखना बताता है। साथ ही 3 लीटर के आसपास शराब रखने को अपराध नहीं होना बताता है।

13– गवाह पी.ड. 3 बंकट सिंह मुख्य परीक्षण के दौरान गवाह पी.ड. 2 के कथनों की ताईद करता है एवं स्वयं की उपस्थिति में फर्द प्रदर्श पी 4, 5 व 6 की कार्यवाही करना व जिन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताता है। साथ ही मुलजिमा गोरी को जरिये फर्द प्रदर्श पी 7 के गिरफ्तार करना, एफआईआर प्रदर्श पी 8 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना, जब्तशुदा माल को एफएसएल हेतु भिजवाना, मुलजिमा का सजायाबी रिकॉर्ड प्रदर्श पी 10 शामिल पत्रावली करना, एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना व बाद अनुसंधान मुलजिमा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश करना बताता है।

वहीं दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता मुलजिमा गवाह कथन करता है कि उन्होंने मुलजिमा को 50 मीटर की दूरी से देखा था। उसने तथा जाब्ते में शराब पटकते हुये मुलजिमा को देखा था।

14– गवाह पी.ड. 4 ओंकार सिंह भी मुख्य परीक्षण के दौरान अन्य दोनों गवाहान की भांति कथन करता है कि वे जब जाब्ता सांसी बस्ती अजमेर की ओर से आ रहे थे तो

एक महिला प्लास्टिक के कट्टे को लेकर नजर आयी, जो पुलिस जाब्ते को देखकर प्लास्टिक के कट्टे को जमीन पर पटक कर भाग गयी। अन्य व्यक्ति गवाह बनने हेतु तैयार नहीं होने पर उसे तथा छोटूराम को गवाह बनाया गया। पी.ओ. साहब व गवाहान ने महिला की पहचान गोरी सांसी बस्ती के रूप में की, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी कई बार दबीश दी जा चुकी थी, जो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त है, इसलिए उसे पहचानता है। तत्पश्चात प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखने से उसमें से शराब बरामद हुई, जो कुल 26 पव्वे जब्ती के अनुसार बताता है। उक्त जब्तशुदा माल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 होना, नक्शामौका प्रदर्श पी 5 मुर्तिब करना, जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना और दिनांक 18.5.23 को आरोपीया गोरी के थाने पर आने से उसे गिरफ्तार करने के कथन करता है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल को उसे सुपुर्द करने पर जमा मालखाना कराना, जिसके मालखाने के रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 3 होना तथा जमा मालखाना को पप्पू सिंह के मार्फत आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाना व जमा रसीद लाकर उसे देना बताता है।

वहीं दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता मुलजिमा गवाह कथन करता है कि 17 पव्वे शराब रखना अपराध नहीं है। मुलजिमा 100 मीटर की दूरी से भाग गयी थी। मुलजिम का पीछा करने के बाद वापस कितने समय में आये, उसे याद नहीं है। प्रकरण में आसपास के किसी व्यक्ति को घटना का गवाह नहीं बनाया गया, ना ही आसपास के मकान से कोई भी गवाह बनाकर पूछताछ की गयी। मुलजिमा 20–25 दिन बाद थाने पर आयी थी। जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा के गैर हाजरी में ही जब्ती बनायी थी।

15– इस प्रकार उक्त गवाहान के मुख्य परीक्षण व उन से की गयी विस्तृत जिरह में यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 27.4.23 को जब मय जाब्ता आबकारी निरोधक दल के सदस्य जा रहे थे तो सांसी बस्ती पर एक महिला प्लास्टिक का कट्टा लेकर नजर आयी, जो बावर्दी जाब्ते को देखकर कट्टा जमीन पर पटक कर भाग गयी। कट्टे की तलाशी पर 26 अंग्रेजी शराब के पव्वे मिले, जिन्हें सील मोहर किया जाकर कार्यवाही की गयी, माल को एफएसएल जॉच हेतु भिजवाया गया, जिसमें उक्त माल शराब होना पाया गया तथा महिला की पहचान मुलजिमा गौरी के रूप में जाब्ते के कर्मचारियों द्वारा की गयी, क्योंकि महिला पर पूर्व के भी मुकदमे दर्ज है। लेकिन इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जाब्ते के पुलिस कर्मीयों के द्वारा महिला का पीछा करना व उसे रूहपोश हो जाना बताया गया है। मौके से महिला को गिरफ्तार करने का प्रयास अविलम्ब या लगातार किया गया हो, ऐसा कोई भी कारण प्रकरण में दर्शित नहीं है। उल्लेखनीय है कि महिला को पूर्व से ही पहचान किया हुआ होना बताया गया है, लेकिन घटना में मुलजिमा की गिरफ्तारी का कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा दर्शित नहीं है, वरन् स्वयं मुलजिमा द्वारा थाने पर आकर गिरफ्तारी देना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि घटना दिन की है, लेकिन घटना में किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया है, वरन् सभी गवाह पुलिस कर्मी है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि पुलिस कर्मी साक्षी की साक्ष्य केवल इस आधार पर

खारिज नहीं की जा सकती कि वह पुलिस कर्मी है, लेकिन न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह पुलिस कर्मी की दशा में उनकी साक्ष्य एवं आचरण का सतर्कता व सुक्ष्मता से विवेचन करे। साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मुलजिमा पर कुल 26 पव्वे अर्थात 5 लीटर से भी कम अंग्रेजी शराब बिना वैध अनुज्ञा पत्र के परिवहन करने का आरोप है। जिस सम्बंध में मुलजिमा द्वारा दिनांक 21.8.14 की राजस्थान सरकार वित्त(आबकारी)विभाग अधिसूचना पेश की गयी, जिसके अनुसार भारत में निर्मित 9 लीटर विदेशी शराब बिना वैध लाईसेंस के रखने का अधिकार होना, मुलजिमा अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरण में मौके से मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा मुलजिमा को पूर्व से परीचित होने पर भी उसकी गिरफ्तारी के कोई प्रयास करना दर्शित नहीं है, वरन् स्वयं मुलजिमा द्वारा घटना के 20 दिन पश्चात आकर थाने पर गिरफ्तारी देना बताया गया है और कोई भी ऐसा विशिष्ट पहचान चिन्ह नहीं बताया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि जो शराब घटना में बरामद बतायी गयी है, वह अनन्य तौर पर मुलजिमा के कब्जे में थी। साथ ही उल्लेखनीय है कि मुलजिमा पर 5 लीटर से भी कम अंग्रेजी शराब परिवहन करने का आरोप है तथा अधिवक्ता मुलजिमा द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना जिसे स्वयं अभियोजन द्वारा स्वीकार किया गया है, में 9 लीटर तक भारत निमित विदेशी शराब का परिवहन करना अपराध नहीं होने बाबत कथन किया गया है।

16– उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का प्रश्न है, उक्त निर्णय में कितनी अंग्रेजी शराब रखी जा सकती है, इस सम्बंध में कोई भी विवेचन किया जाना दर्शित नहीं है। मुलजिमा को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही उसे घटना की दिनांक के तुरन्त बाद पूर्व की पहचानशुदा होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी के कोई प्रयास किये गये है, ना ही मौके के किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के तौर पर पेश किया गया है, जबकि घटनास्थल रिहायशी एरिया होना दर्शित है, जो कि अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संदेह की दशा में संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

28– अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीया/ मुलजिमा गोरी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

29– अतः अपीलार्थीया/मुलजिमा श्रीमती गोरी पत्नी बंटी उम्र 33 वर्ष, निवासी ईसाई मौहल्ला, सांसी बस्ती, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.02.2025 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीया/मुलजिमा गोरी को प्रकरण में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। मुलजिमा के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

Authenticated Document

30– निर्णय की प्रति सहित विद्वान् विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रेषित किया जावे।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–3
अजमेर

31– निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय सुनाया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–3
अजमेर

Authenticated Document